FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0031 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/02/2026 19:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 31/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:12 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/02/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/02/2026 19:24:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 610 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE CHAUKI CHHOTI SARVA, THANA PATAN JILA BANSWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ASHWIN BARIYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HEERALAL BARIYA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOYAKA BARIYA SAAT JALIMPURA, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOYAKA BARIYA SAAT JALIMPURA, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURENDRA SINGH		पिता:MADAN SINGH	1. RAJPUR,GARHI,BANSWARA,R
2	JAIPAL SINGH		पिता:MAL SINGH	1. MAHAWA NEEM KA THANA SADAR,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा। विषयः- कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय् उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझ प्रार्थी अश्विन बारिया पुत्र श्री हिरालाल बारिया उम्र 26 वर्ष निवासी गोयका बारिया साथ, जालिमपुरा, बांसवाडा का रहने वाला हुं मै पेषे से टैक्सी चालक का कार्य करता हुं। मेरी इक्को गाडी नं आरजे 03 सीसी 5219 है जो की मेरे नाम पर पंजिकृत है। मेरी गाडी को मेरा परिचित बहादुर चरपोटा निवासी शोभावटी पाटन दिनांक 24.01.2026 को किराए पर लेकर गया था। दूसरे दिन जब गाडी लेकर वापस नही आया तो मैने उससे फोन करके गाडी के बारे में और भाडे के किराए के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया की रात को हमारे कोई रास्ते में विवाद हो गया था उस विवाद में अन्य लोगो द्वारा तुम्हारी गाडी तोड दी है तुम्हारी गाडी सुरेष चला रहा था। इसलिए मैने सुरेष से उन लोगो के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दिलवाई है मैने उससे गाडी के बारे में पूछा तो उसने बताया की गाडी जहां मारपीट हुई वही पडी है। मेरा परिचित बहादुर ही किराए पर गाडी लेकर गया था। जब मैने बहादुर से गाडी के नुकसान की भरपाई के लिए कहा तो उसने मुझे बाद में बात करने और उसके लिए थाने वाले कार्यवाही करेगे कह कर टाल दिया जिस पर मैने अन्य लोगो से मालूम किया तो जानकारी में आया की मेरी गाडी पुलिस थाना पाटन में रखी गई है इसके बाद मेरे मोबाईल पर बहादुर का फोन आया और बताया की हमारी प्रकरण की जांच सुरेन्द्र सिंह जी हैड साहब कर रहे है और उन्होने गाडी की आरसी मंगवायी है हैड साहब जल्दी कार्यवाही करने के लिए खर्चे पानी के दो हजार रूपये भी मांग रहे है तुम छोटी सरवा चौकी पर श्री सुरेन्द्र सिंह हैड साहब से जाकर मिल लो। मुझे आज चौकी पर जाकर श्री सुरेन्द्र सिंह हैड साहब से मिलना है वह आज मुझसे रिश्वत राशिकी मांग कर सकते है मै अपने साथ थाने के एफआईआर की कॉपी लाया हुं। आपको प्रार्थना पत्र के साथ पेष करता हु। मैं सुरेन्द्र सिंह हैड साहब को कोई रिश्वत राशिनही देना चाहता हु। मेरा इन सब से ना ही कोई आपसी लेन देन बाकि है ना ही कोई रंजीष है मै इन्हे कोई रिश्वत राशिनही देना चाहता हु। अतः आप कानुनी कार्यवाही कराने का श्रम करावें।' दिनांकः-30.01.2026 सही/- अश्विन बारिया पुत्र श्री हिरालाल बारिया उम्र 26 वर्ष निवासी गोयका बारिया साथ, जालिमपुरा, बांसवाडा मो0 कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा दिनांक 30.01.2026 समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री अश्विन बारिया पुत्र श्री हिरालाल बारिया उम्र 26 वर्ष निवासी गोयका बारिया साथ, जालिमपुरा, बांसवाडा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी को पढकर सुनाया गया तो परिवादी श्री अश्विनबारिया ने शब्द-ब-शब्द सही होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद पूछताछ पर परिवादी ने बताया कि " मुझ प्रार्थी अश्विनबारिया पुत्र श्री हिरालाल बारिया उम्र 26 वर्ष निवासी गोयका बारिया साथ, जालिमपुरा, बांसवाडा का रहने वाला हुं मै पेषे से टैक्सी चालक का कार्य करता हुं। मेरी इक्को गाडी नं आरजे 03 सीसी 5219 है जो की मेरे नाम पर पंजिकृत है। मेरी गाडी को मेरा परिचित बहादुर चरपोटा निवासी शोभावटी पाटन दिनांक 24.01.2026 को किराए पर लेकर गया था। दूसरे दिन जब गाडी लेकर वापस नही आया तो मैने उससे फोन करके गाडी के बारे में और भाडे के किराए के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया की रात को हमारे कोई रास्ते में विवाद हो गया था उस विवाद में अन्य लोगो द्वारा तुम्हारी गाडी तोड दी है तुम्हारी गाडी सुरेष चला रहा था। इसलिए मैने सुरेष से उन लोगो के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दिलवाई है मैने उससे गाडी के बारे में पूछा तो उसने बताया की गाडी जहां मारपीट हुई वही पडी है। मेरा परिचित बहादुर ही किराए पर गाडी लेकर गया था। जब मैने बहादुर से गाडी के नुकसान की भरपाई के लिए कहा तो उसने मुझे बाद में बात करने और उसके लिए थाने वाले कार्यवाही करेगे कह कर टाल दिया जिस पर मैने अन्य लोगो से मालूम किया तो जानकारी में आया की मेरी गाडी पुलिस थाना पाटन में रखी गई है इसके बाद मेरे मोबाईल पर बहादुर का फोन आया और बताया की हमारी प्रकरण की जांच सुरेन्द्र सिंह जी हैड साहब कर रहे है और उन्होने गाडी की आरसी मंगवायी है हैड साहब जल्दी कार्यवाही करने के लिए खर्चे पानी के दो हजार रूपये भी मांग रहे है तुम छोटी सरवा चौकी पर श्री सुरेन्द्र सिंह हैड साहब से जाकर मिल लो। मुझे आज चौकी पर जाकर श्री सुरेन्द्र सिंह हैड साहब से मिलना है वह आज मुझसे रिश्वत राशिकी मांग कर सकते है मै अपने साथ थाने के एफआईआर की कॉपी लाया हुं। आपको प्रार्थना पत्र के साथ पेष करता हु। मैं सुरेन्द्र सिंह हैड साहब को कोई रिश्वत राशिनही देना चाहता हु। मेरा इन सब से ना ही कोई आपसी लेन देन बाकि है ना ही कोई

रंजीष है मै इन्हे कोई रिश्वत राशिनही देना चाहता हु। अतः आप कानुनी कार्यवाही कराने का श्रम करावें।" परिवादी से माजिद दरियाप्त पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पुलिस थाना पाटन की प्रथम सूचना रिपोर्ट 15/2026 दिनांक 27.01.2026 का अवलोकन किया जाकर पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया की मेरा परिचित बहादुर मुझसे दिनांक 24.01.2026 को गाडी भाडे पर ले जाने हेतु आया और उसने मुझे कहां की मेरा मित्र सुरेष गाडी चलाना जानता है और उसके पास लाईसेन्स भी है तो हम आपकी गाडी का किराया दे देगें। बहादुर मेरा जानकार होने से मैने उसको मेरी गाडी भाडे पर ले जाने के लिए दे दी थी। जिस पर मै दिनांक 27.01.2026 को पुलिस चौकी सरवा गया वहा जाकर मेरी गाडी के नुकसान सम्बन्धि हैड साहब से बात की तब ही वहा सुरेष आया तो मैने उससे पूछा मेरी गाडी तुम चला रहे थे बहादुर भी तुम्हारे साथ था तो बहादुर ने रिपोर्ट क्यो नही दी और रिपोर्ट में मेरा नाम क्यु लिखवाया गाडी तो तुम चला रहे थे जबकि मै तुम्हारे साथ नही था मैने यह बात पुलिस चौकी के हैड साहब सुरेन्द्र सिंह जी को बताकर मेरी तरफ से भी रिपोर्ट देने के लिए कहां तो उन्होने बोला सुरेष ने रिपोर्ट दे रखी उसमें तुम्हारी गाडी का जो दो लाख का नुकसान हुआ है रिपोर्ट में लिखा हुआ है। दरियाफ्त पर मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री बंसीलाल कानि नं 63 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड (आरजी लाईट 8 जीबी बरंग काला) मंगवाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल टेप रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। श्री बंसीलाल कानि नं 63 का परिचय परिवादी श्री अश्विनबारिया से करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान करवाये गए। तत्पश्चात परिवादी श्री अश्विनबारिया से श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया की वह पुलिस चौकी छोटी सरवा पर ही मिलेगें। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बंसीलाल कानि नं 63 को अग्रिम रिश्वत राशिमांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगाकर सुपूर्द कर समय 01.30 पीएम पर परिवादी एवं श्री बंसीलाल कानि को परिवादी की मोटरसाईकल से पुलिस चौकी सरवा थाना पाटन जिला बांसवाडा के लिए मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री अश्विनबारिया व कानि श्री बंसीलाल नं 63 ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आकर श्री बंसीलाल कानि 63 ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ बन्द हालत में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया जिसे सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री अश्विनबारिया ने बताया कि मै व श्री बंसीलाल कानि मेरी मोटरसाईकल से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस चौकी छोटी सरवा के आस-पास पहुंचे जहां मैने मेरे मोबाईल से श्री सुरेन्द्र सिंह जी हैड साहब के मोबाईल नं पर कॉल लगाकर मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखकर वार्ता की तो हैड साहब ने बताया की मै पुलिस थाना पाटन हुं उक्त वार्ता को डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकॉर्ड किया गया था। मै और श्री बंसीलाल जी मेरी मोटरसाईकल से पुलिस थाना पाटन के आस-पास पहुंचे जहां श्री बंसीलाल कानि द्वारा मुझे डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया। जिस पर मै, बंसीलाल जी को वही छोड कर अपनी मोटरसाईकल लेकर पुलिस थाना पाटन पहुंचा वहां श्री सुरेन्द्र सिंह जी हैड साहब उपस्थित मिले जिनसे मैने मेरी इक्को गाडी के बारे में बातचीत कर मेरे नुकसान होने की बात कहकर उनसे मेरी गाडी को छुडवाने सम्बन्धि बात की थी हैड साहब ने मुझे कहां की गाडी का इन्षोयरेंस है तो शोरूम वालो को कहना गाडी आकर ले जाएंगे कंपनी में गाडी का एक्सीडेंट होना बता देना। मैने हैड साहब को एफआईआर में गाडी मै चला रहा था क्यु लिखा इस सम्बन्ध में कहा तो उन्होने मुझसे गाडी के कागज मांगे थे। हैड साहब ने मुझसे जयपाल सिंह बापू जो चौकी पर बैठते है उनसे मिलने के लिए कहा, मैने उनसे जल्दी फाईल कम्प्लीट करने और फाईल हैड साहब के जिम्मे होने की बात कही थी हैड साहब ने वहा पर चौकी से जयपाल सिंह कानि को थाने पर बुलाया था इसके बाद मैने हैड साहब को सामने वालो ने मेरी गाडी का नुकसान किया है उनसे भरपाई के लिए कहा तो हैड साहब कहने लगे कोर्ट दिलाएगी जैसे हम फाईल लिखेगे तेरा काम हो जाएंगा। कुछ देर बाद जयपाल सिंह जी पुलिस चौकी छोटी सरवा से पुलिस थाने पर आए हैड साहब और जयपाल सिंह जी ने मुझे बुलाकर मेरी गाडी छोडने सम्बन्धि बात कर मुझसे जयपाल सिंह जी को फाईल लिखने के लिए कुछ करने को कहां जिस पर मैने उनसे कितने देने है कहां तो हैड साहब ने मुझसे दो हजार रूपये देने को कहां और कल देने को कहां है जयपाल सिंह जी ने भी रूपये कल देने को कहा है। मैने हैड साहब को अभी तो मेरे पास पांच सौ रूपये ही पडे होना बताया तो हैड साहब और जयपाल सिंह जी ने कल ले आना साथ में यह कहा है। उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। इसके पश्चात मै पुलिस थाना पाटन से बाहर आया और डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ श्री बंसीलाल कानि को सुपूर्द किया जिसे उन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी के कहे कथनों की ताईद श्री बंसीलाल कानि द्वारा करते हुए बताया की मैने परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपूर्द किया और मैं वही आस पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम रहा था। बाद रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी मेरे पास उपस्थित आया था जिससे ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर

मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर परिवादी एवं श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि के मध्य हुई वार्ता के मुख्य अंष सुने गए तो श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि द्वारा परिवादी की गाडी छोडने और फाईल तैयार करने की एवज में जयपाल सिंह के लिए दो हजार रूपये रिश्वत राशिकी मांग की गई जिसमें जयपाल सिंह द्वारा भी अपनी सहमती व्यक्त की गई है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस थाना पाटन पर दर्ज एफआईआर संख्या 15/2026 दिनांक 27.01.2026 पेष की गई थी उक्त एफआईआर का अवलोकन किया तो प्रकरण के जांच अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि को नियुक्त किया गया था परिवादी से पूछताछ पर बताया की मै गाडी के साथ नही गया था मेरे परिचित बहादुर के मित्र सुरेष ने एफआईआर में मेरा नाम गाडी चलाने और साथ आने के बारें में लिखा था मैने यह बात श्री सुरेन्द्र िंसंह जी हैड साहब को भी बताई तो उन्होने मुझसे इस बारे मे कोई बातचीत नही की थी। मैने आज भी अपनी और से थाने में रिपोर्ट देने के लिए कहां पर सुरेन्द्र सिंह जी हैड साहब ने मना कर दिया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशिकी व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने बताया की मै कल दिनांक 31.01.2026 को प्रातः आपके कार्यालय में रिश्वत राशिकी व्यवस्था कर उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। आरोपीगण द्वारा कल दिनांक 31.01.2026 को रिश्वत राशिकी मांग की गई है अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवष्यकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा के नाम कार्यालय के पत्रांक एसपीएल-1 दिनांक 30.01.2026 प्रातः 07.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित आने हेतु तहरिर जारी कर श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। हालात उच्चाधिकारियों को अर्ज किए गए। अतिरिक्त ब्यूरो जाप्ता की आवश्यकता होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ को जरिये दूरभाष जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। दिनांक 31.01.2026 समय 07.00 एएम पर पाबन्दशुदा चिकित्सा विभाग बांसवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम मिलन भट्ट पुत्र श्री हितेश्वर भट्ट उम्र 48 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी अगरपुरा कॉलोनी बांसवाडा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पालोदा अटैचमेंट कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा एवं विक्रम सिंह नाथावत पुत्र श्री शिवराज सिंह नाथावत उम्र 40 वर्ष जाति राजपुत निवासी मकान नं 79 तिरूपति नगर जिला बांसवाडा हाल कनिष्ठ सहायक जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा होना बताया मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। पूर्व का पाबन्दशुदा श्री गणेशप्रसाद हैड कानि नं 06 भ्रनिब्यूरो प्रतापगढ़ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिसे आवश्यक हिदायत कर कार्यालय कक्ष में बैठाया। समय 07.40 एएम पर तलबिदा शुदा परिवादी श्री अश्विनबारिया ने ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आकर बताया की रिश्वत राशि2,000/- रूपये लेकर आया हूं कार्यवाही करावे। परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री अश्विन बारिया से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री अश्विनबारिया की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2026 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशिमांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्ड शुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ कार्यालय की अलमारी से श्री बंसीलाल कानि से मंगावाया जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंष को गवाहो को भी सुनाया गया तो गवाहान ने भी आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की। समय 08.00 एएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा समय करीब 02.44 पीएम पर जरिये मोबाईल वार्ता एवं समय करीब 02.57 पीएम पर परिवादी एवं श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि के मध्य आमने-सामने पुलिस थाना पाटन के परिसर मे हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को पृथक-पृथक चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि0 नम्बर 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री अश्विनबारिया ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व एक आवाज श्री जयपाल सिंह कानि की होने की पुष्टि की। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 10.00 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड कानि एवं श्री जयपाल सिंह कानि को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु परिवादी श्री अश्विन बारिया को कहां तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 04 नोट कुल 2,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी श्री अश्विन बारिया द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री दिनेश कुमार सउनि से कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की शीशी को मंगवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीषी को श्री गणेशप्रसाद हैड कानि नं 06 को सम्भलवाई गई तथा

हैड कानि द्वारा कार्यालय की टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अश्विन बारिया की जामा तलाशीगवाह श्री विक्रम सिंह नाथावत से लिवाई गई। जिस में परिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी को सुपुर्द किया गया। श्री गणेशप्रसाद हैड कानि नं 06 से उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री अश्विन बारिया के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बाएं जैब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री दिनेष कुमार सउनि से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशप्रसाद हैड कानि की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपीगण परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगें तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीगण ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेशप्रसाद हैड कानि से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गणेशप्रसाद हैड कानि को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या श्री बंसीलाल कानि 63 के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, श्री गणेशप्रसाद हैड कानि व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं श्री गणेशप्रसाद हैड कानि को ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। श्री दिनेष कुमार सउनि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर को ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 10.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त ब्यूरो जाब्ता को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मिलन भट्ट वरिष्ठ सहायक व श्री विक्रम सिंह नाथावत कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आवष्यक दिषा-निर्देष दिये जाकर श्री बंसीलाल कानि नं 63 को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ मुनासिब हिदायत के सम्भलवाया गया। समय 10.50 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अश्विन बारिया व श्री बंसीलाल कानि नं 63 को मय ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ जरिये कानि की मोटरसाईकल से पुलिस चौकी छोटी सरवा के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मिलन भट्ट, श्री विक्रम सिंह नाथावत ब्यूरो जाब्ता श्री पंकज कुमार कानि, श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि, श्री दिनेश कुमार सउनि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी आवश्यक संसाधनों के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से पुलिस चौकी छोटी सरवा थाना पाटन जिला बांसवाडा के लिए रवाना हुए। समय 12.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम ब्यूरो कार्यालय से रवानाशुदा कस्बा पाटन के आस पास पहुंचकर अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडा करवाया गया। समय करीब 12.06 पीएम पर परिवादी श्री अश्विन बारिया से आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल नं से आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि के मोबाईल नं पर कॉल करवाया गया तो आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह ने पुलिस चौकी छोटी सरवा आने के लिए कहां गया। उक्त वार्ता परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रख कर ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकॉर्ड की गई। परिवादी श्री अश्विन बारिया व श्री बंसीलाल कानि न 63 को मय ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ जरिये कानि की मोटरसाईकल से पुलिस चौकी छोटी सरवा के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मिलन भट्ट, श्री विक्रम िंसह नाथावत ब्यूरो जाब्ता श्री पंकज कुमार कानि, श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि, श्री दिनेश कुमार सउनि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी आवश्यक संसाधनों के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से पुलिस चौकी छोटी सरवा के लिए रवाना हुए। समय 12.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान का रवानाशुदा पुलिस चौकी छोटी सरवा के आस-पास पहुंचे जहां परिवादी श्री अश्विन बारिया को श्री बंसीलाल कानि द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द कर समय करीब 12.48 पीएम पर पुलिस चौकी छोटी सरवा के लिए रवाना किया तथा प्राईवेट वाहन को साईड में खडा करा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे

पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। समय 01.20 पीएम दर्ज रहे कि समय करीब 01.12 पीएम पर परिवादी श्री अश्विनबारिया ने अपने मोबाईल से श्री बंसीलाल के मोबाईल फोन पर आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण बाबत् पूर्व निर्धारित ईषारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहूंचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से टेप रिकोर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि श्री जयपाल सिंह कानि ने अभी मुझसे रिश्वत राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण कि है और श्री सुरेन्द्र सिंह जी हैड साहब अभी चौकी से बाहर कही अपनी मोटरसाईकल से निकले है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी एवं हमराहियान के पुलिस चौकी छोटी सरवा के मुख्य गेट से अन्दर प्रवेष किया तो सामने टेबल कुर्सी पर सादे वस्त्रो में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जयपाल सिंह पुत्र माल सिंह उम्र 34 वर्ष जाति राजपूत निवासी महावा निमकाथाना सदर जिला सीकर हाल कानि नं 878 पुलिस चौकी छोटी सरवा पुलिस थाना पाटन जिला बांसवाडा होना बताया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जयपाल सिंह कानि से परिवादी श्री अश्विन बारिया से ग्रहण की गई रिश्वत राशिके सम्बन्ध में पूछा तो श्री जयपाल सिंह कानि ने बताया की मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है। जिस पर पास में खडे परिवादी श्री अश्विन बारिया ने बताया कि मेरी इक्को वाहन का नुकसान का मुआवजा दिलवाने एवं फाईल तैयार कर गाडी मुझे सुपूर्द करने के एवज में मुझसे दो हजार रूपये कि रिश्वत राशि कि मांग श्री सुरेन्द्र सिंह हैड साहब ने उनके मुंशी श्री जयपाल सिंह कानि को फाईल तैयार करने के लिए मांग कि गई थी, जो उनकी मांग अनुसार मैने अभी-अभी श्री जयपाल सिंह जी को उनके हाथो में दी है। तत्पश्चात् जयपाल सिंह कानि कि तलाशीगवाह श्री मिलन भट्ट से लिवाई गई तो उसके पास 500-500 रूपये के नोट एवं मोबाईल बरामद हुआ श्री जयपाल सिंह की तलाशीमें प्राप्त राशिको गवाहान से गिनवाया गया तो राशि2,000/- रूपये होना बताया जाने पर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरो से मिलान कराया गया तो नम्बरो का मिलान नही होना बताया गया। जिस पर कानि श्री जयपाल सिंह ने बताया की यह राशिमेरे निजी खर्च के है मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है। कानि श्री जयपाल सिंह की तलाशीमें मिले 2,000/- रूपये कि राशिएवं बरामद मोबाईल को गवाह श्री विक्रम सिंह को सुरक्षित रखने हेतु सम्भलवाए। तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देष पर दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाब्ता द्वारा पुलिस चौकी छोटी सरवा के प्रथम कक्ष जहां श्री जयपाल सिंह कानि अपने कार्यालय का कार्य कर रहा था उक्त टेबल व पास की दिवार में बनी अलमारी कि तलाशीली गई तो वहा कोई रिश्वत राशिबरामद नही हुई। इसके बाद पुलिस चौकी छोटी सरवा के पीछे बने दुसरे कक्ष की तलाशीली गई तो कक्ष के प्रवेष द्वार के बाए और दिवार में बनी अलमारी के नीचले खण्ड में कागज की Maple 70 GSM FS कि रिमे पडी हुई थी उक्त रिम को श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि द्वारा उठाया गया तो Maple 70 GSM FS की दो रिमो के बीच में 500-500 सौ रूपये के कुछ नोट रखे हुए थे उक्त नोटो को गवाह श्री मिलन भट्ट से उठवाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 04 नोट कुल 2,000/- रूपये होना बताया गया। उक्त नोटो को दोनो गवाहान से फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोट मुताबिक फर्द पेशकशी हूबहू हुए। उक्त रिश्वत राशि 2,000/- रूपये को गवाह श्री मिलन भट्ट को सुरक्षित रखने हेतु सम्भलवाया गया। इसी दौरान परिवादी श्री अश्विन बारिया ने चौकी के बाहर मोटरसाईकल से आए एक व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि यही श्री सुरेन्द्र सिंह जी हैड साहब है इन्होने ही कल मुझसे 2,000/- रूपये कि रिश्वत राशिश्री जयपाल सिंह को देने के लिए कहां था। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को पुलिस चौकी छोटी सरवा के कार्यालय कक्ष में बुलाकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह उम्र 50 वर्ष जाति राव निवासी राजपुर तहसील गढी जिला बांसवाडा हाल हैड कानि नं 664 पुलिस थाना आनन्दपुरी हाल मौखिक आदेष से अटैचमेंट पुलिस चौकी छोटी सरवा थाना पाटन होना बताया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हैड कानि से परिवादी से श्री जयपाल सिंह कानि द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशि2,000/- रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो हैड कानि मौन रहा जिस पर पास ही खडे परिवादी से पूछने पर परिवादी ने बताया की मेरी गाडी छोडने के लिए हैड साहब ने 2,000/- रूपये रिश्वत राशिकी मांग की गई थी और रिश्वत राशिजयपाल सिंह कानि को देने के लिए कहां गया था। जिसकी एवज में मैने आज हैड साहब के कहे अनुसार 2,000/- रूपये जयपाल सिंह कानि को दिए है। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि द्वारा अपने मोबाईल फोन से परिवादी से वार्ता किये जाने से हैड कानि का मोबाईल प्राप्त कर गवाह श्री विक्रम सिंह नाथावत को सुरक्षित सम्भलवाया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री जयपाल सिंह कानि एवं आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि को आमने-सामने पूछताछ करने पर जयपाल सिंह कानि ने बताया की उक्त रिश्वत राशि हैड साहब के कहने पर मैने अश्विनसे ग्रहण की थी और ग्रहण करने के पश्चात उक्त रिश्वत राशि चौकी के पीछे बने दुसरे कक्ष में कागज की रिमो के बीच रख दिए थे, जिस पर हैड कानि सुरेन्द्र सिंह मौन रहा इससे स्पष्ट है कि हैड कानि सुरेन्द्र सिंह के कहने पर ही कानि श्री जयपाल सिंह द्वारा रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण की गई थी। जिससे श्री सुरेन्द्र सिंह की भी संलिप्तता स्पष्ट जाहिर होती है। चूकी पुलिस थाना पाटन के प्रकरण संख्या 15/2026 की जांच श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि के जिम्मे की गई थी उक्त जांच से सम्बन्धित वाहन को छोडने के लिए रिश्वत राशि मांग की जा रही थी। नियमानुसार आरोपी श्री जयपाल सिंह कानि के दोनो हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री दिनेश कुमार सउनि से प्राईवेट वाहन में

से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलाकर पुलिस चौकी छोटी सरवा के कार्यालय कक्ष से पीने का साफ पानी पारदर्शी प्लास्टिक बोतल मे मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री जयपाल सिंह कानि के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का मटमैला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क RH1 o RH2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री जयपाल सिंह के बाये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का मटमैला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिनेश कुमार सउनि से कराये जाकर मार्क LH1 o LH2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात पुलिस चौकी छोटी सरवा के पीछे बने दुसरे कक्ष के प्रवेश द्वार के बाद और दिवार में बनी अलमारी के नीचले खण्ड में कागज की Maple 70 GSM FS की रखी दो रिम जहां से रिश्वत राशि 2,000/- रूपये बरामद हुई का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री दिनेष कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्षी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया उक्त घोल में ट्रेप बॉक्स में रखे साफ रूई के फोहे को निकालकर रंगहीन घोल में डुबोकर दिवार के अलमारी में बने निचले खण्ड में पडी दोनो Maple 70 GSM FS रिमो के बीच में घुमाया जाकर रूई के फोहे को रंगहीन घोल के गिलास में डुबोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन ने स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर षिषियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा माक K1 o K2 अंकित कर उक्त सिलचिटषुदा षिषियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दोनो रिमों के कवर में से सफेद कागज निकाले जाकर रिम के Maple 70 GSM FS बरंग हरा व सफेद कवर को सुखाकर धोवन वाले स्थान पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए गए तथा दोनो Maple 70 GSM FS रिम कवर को एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क K अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात् श्री मिलन भट्ट स्वतंत्र गवाह को पूर्व में सम्भलाई गई रिश्वत राशि2,000/- रूपये जिसका मिलान पूर्व में दोनो स्वतंत्र गवाहान से मूर्तिब फर्द पेशकशी से कर लिया गया था उक्त रिश्वत राशि को श्री मिलन भट्ट गवाह से प्राप्त कर उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर नियमानुसार एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गया। समस्त सीलचीटशुदा आर्टिकल्स मय रिश्वती राशि सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में श्री दिनेश कुमार सउनि से रखवाए गए। उक्त बरामदगी की विडीयोग्राफी श्री बन्सीलाल कानि नं 63 से ब्यूरो के सरकारी मोबाईल में नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगवाकर मोबाईल में विडीयोग्राफी करवाई गई। समय 03.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो आरोपीगण एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान की मौजुदगी में परिवादी की निशांदेही पर फर्द घटनास्थल निरीक्षण किया गया जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए गए। पुलिस चौकी छोटी सरवा पर मौके पर उपस्थित आए श्री भंवरलाल कानि नं 879 को आरोपी श्री जयपाल सिंह कानि कि तलाशी के दौरान बरामद राशि 2,000/- रूपये जो श्री जयपाल िंसह कानि ने अपने स्वयं के खर्च कि होना बताया था जो गवाह श्री विक्रम सिंह नाथावत को सम्भलवाई गई थी उक्त राशि को श्री जयपाल सिंह कानि की सहमती से श्री भंवरलाल कानि नं 879 को सुपूर्द सम्भलाया गया। श्री भंवरलाल कानि नं 879 को ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवा पुलिस चौकी छोटी सरवा का कार्यभार सम्भलवाया गया। उक्त बरामदगी की विडीयाग्राफी सरकारी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी उक्त मेमोरी कार्ड को मूल ही सरकारी मोबाईल से निकलवाया जाकर मेरे पास सुरक्षित रखा गया। श्री बंसीलाल कानि से सरकारी मोबाईल में नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगवा कर आरोपी श्री जयपाल सिंह कानि के किराये के मकान की तलाशी के दौरान विडीयाग्राफी करने हेतु निर्देशित किया। समय 03.15 पीएम पर आरोपी श्री जयपाल सिंह कानि के किराये के मकान जो की पुलिस चौकी छोटी सरवा के सामने वाली रोड पर स्थित है जिसकी तलाशी लेने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान एवं डिटेन शुदा आरोपीगण के आरोपी जयपाल िंसह कानि के किराये के मकान पहुंच समय करीब 03.20 पीएम पर किराये के मकान की खानातलाशी ली गई जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाए गए। समय 03.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाब्ता एवं डिटेन शुदा आरोपीगण मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनो के अपने-अपने वाहनो से पुलिस थाना पाटन के लिये रवाना हुआ। समय 04.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा पुलिस थाना पाटन पहुंचा। जहां श्री हरीश चन्द्र पाटीदार हैड कानि नं 210 उपस्थित मिला जिससे परिवादी के इक्को गाडी आरजे 03 सीसी 5219 से सम्बन्धित दस्तावेज चाहे गए तो हैड कानि द्वारा अवगत करवाया कि थानाधिकारी कही पेशी पर गए है । श्री हरीश चन्द्र पाटीदार से श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि से प्रकरण मे की गई जांच सम्बन्धित रोजनामचा रपट चाही तो श्री हरीश चन्द्र पाटीदार ने अवगत करवाया की हैड कानि दो दिन अवकाश उपभोग हेतु गया हुआ था। जिसकी रपट श्रीमान् को पेश है। तत्पश्चात पुलिस थाना पाटन के परिसर में खडी परिवादी के इक्को वाहन संख्या आरजे 03 सीसी 5219 के फोटोग्राफ

सरकारी मोबाईल से कानि श्री बंसीलाल से लिवाए गए। इसके बाद थानाधिकारी पुलिस थाना पाटन को ब्यूरो कार्यालय मय आवश्यक दस्तावेजात उपस्थित आने हेतु ब्यूरो कार्यालय के पत्रांक एसपीएल-1 दिनांक 31.01.2026 तहरिर जारी कर श्री हरीशचन्द्र पाटीदार हैड कानि से प्राप्ति रसीद ली गई। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेन शुदा आरोपीगण एवं हमराहियान के परिवादी को उसके निजी वाहन से आगे रवाना कर पीछे-पीछे ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिए रवाना हुए । समय 05.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पहुंचकर दोनो आरोपीगणों को सुरक्षित कार्यालय के कक्ष में बैठाया गया तथा सीलचिटशुदा आर्टिकल को श्री दिनेश कुमार सउनि को सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। समय 06.00 पीएम पर आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि के रिहायशी मकान स्थित आदित्य रेजिडेन्सी उदयपुर रोड सदर थाने के पास जिला बांसवाडा की खानातलाशी हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाब्ता श्री गणेश प्रसाद हैड कानि, श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन के रवाना हुआ। आरोपी श्री जयपाल सिंह को ब्यूरो इकाई पर श्री दिनेश कुमार सउनि की निगरानी में रखा गया। समय 06.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा आरोपी के आदित्य रेजिडेन्सी उदयपुर रोड सदर थाने के पास जिला बांसवाडा रिहायशी मकान पर पहूचे जहां जरिये दूरभाष तलबीदा शुदा मकानि 698 सुश्री रजनी उपस्थित आई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व ब्यूरो जाप्ता की उपस्थिति में खानातलाशी शुरु की गई। समय 06.50 पीएम पर दर्ज रहे कि आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि के रिहायशी मकान आदित्य रेजिडेन्सी उदयपुर रोड सदर थाने के पास जिला बांसवाडा की खानातलाशी ली जाकर फर्द खानातलाशी मूर्तिब कर शामील कार्यवाही की गई। बाद खानातलाशी मकानि 698 सुश्री रजनी को जायेतैनाती हेतु रुखसत किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन से आदित्य रेजिडेन्सी उदयपुर रोड सदर थाने के पास जिला बांसवाडा से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुए। समय 07.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन से आदित्य रेजिडेन्सी उदयपुर रोड सदर थाने के पास जिला बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। समय 07.10 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 31.01.2026 समय करीब 12.06 पीएम पर जरिये मोबाईल हुई वार्ता एवं समय करीब 12.48 पीएम पर परिवादी एवं श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि के मध्य आमने-सामने पुलिस चौकी छोटी सरवा पर हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता को पृथक-पृथक चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि0 नम्बर 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री अश्विनबारिया ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज संदिग्ध श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व एक आवाज श्री जयपाल सिंह कानि की होने की पुष्टि की। श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि एवं श्री जयपाल सिंह कानि ने भी उपरोक्त वार्ताओ में आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 08.30 पीएम पर दिनांक 30.01.2026 को समय करीब 02.44 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि के मध्य मोबाईल वार्ता, समय करीब 02.57 पीएम पर परिवादी, आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 31.01.2026 समय करीब 12.06 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि के मध्य मोबाईल वार्ता एवं समय करीब 12.48 पीएम पर परिवादी एवं श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि के मध्य आमने-सामने पुलिस चौकी छोटी सरवा पर हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जिसे नियमानुसार परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंसीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी तथा एक पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी एवं डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 09.00 पीएम पर दिनांक 30.01.2026 को समय करीब 02.44 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि के मध्य मोबाईल वार्ता, समय करीब 02.57 पीएम पर परिवादी, आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 31.01.2026 समय करीब 12.06 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री सुरेन्द्र

सिंह हैड कानि के मध्य मोबाईल वार्ता एवं समय करीब 12.48 पीएम पर परिवादी एवं श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि के मध्य आमने-सामने पुलिस चौकी छोटी सरवा पर हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार श्री बंसीलाल कानि नं 63 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 8 जी.बी. जिस पर आरजी लाईट लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क ड अंकित कर जब्त किया गया। समय 09.30 पीएम पर आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही के दौरान् श्री बन्सीलाल कानि. 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मो◌ेबाईल में नया मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई थी बरामदगी की मेमोरी कार्ड जो की मेरे पास सुरक्षित था उक्त मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल में लगवाकर उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी पेन ड्राईव तथा एक पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी व डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 10.00 पीएम पर दिनांक 31.01.2026 को आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि के रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान श्री बंसीलाल कानि नं 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मोबाईल से विडीयाग्राफी की गई थी जो सरकारी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी उक्त मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला 16 जी.बी. जिस पर आरजी लाईट लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। समय 10.30 पीएम पर आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि के रिहायशी मकान आदित्य रेजिडेन्सी उदयपुर रोड बांसवाडा व श्री जयपाल सिंह कानि पुलिस चौकी छोटी सरवा के सामने के किराये के मकान की खानातलाशी के दौरान श्री बन्सीलाल कानि. 63 द्वारा ब्यूरो के सरकारी मो◌ेबाईल में नया मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की एक पेनड्राईव तैयार की गयी। उक्त पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। उक्त मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 16 जी.बी. जिस पर आरजी लाईट लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। समय 11.00 पीएम पर आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपीगण के बताए अनुसार उसके परिचीत को दी गई। समय 11.20 पी.एम. पर आरोपी श्री जयपाल सिंह कानि को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके परिचीत को दी गई। समय 11.40 पी.एम. पर आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि का मेडीकल परीक्षण करवाने हेतु तहरिर जारी कर श्री बंसीलाल कानि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये वाहन रवाना किए। दिनांक 01.02.2026 समय 12.10 ए.एम. पर आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि का मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट करा बाद परीक्षण मय आरोपीगण के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए। दोनो आरोपीगण को सुरक्षित कार्यालय में बैठाया गया। समय 12.20 ए.एम. पर आरोपी श्री सुरेन्द्र सिह हैड कानि को भ्रनिब्यूरो के पत्रांक एसपीएल-3 दिनांक 31.01.2026 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-4 दिनांक 31.01.2026 एवं श्री जयपाल सिंह कानि के पत्रांक एसपीएल-5 दिनांक 31.01.2026 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-6 दिनांक 31.01.2026 दिया गया तो दोनो आरोपीगणों ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बवक्त न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। दोनो पत्रों को शामिल पत्रावली किये गये। समय 12.30 ए.एम पर आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि की जामा तलाशी के दौरान बरामद मोबाईल जिसे स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम सिंह नाथावत कां सम्भलाये गये थे जिसे जब्त करना आवश्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। समय 12.50 ए.एम पर आरोपी श्री जयपाल सिंह कानि की जामा तलाशी के दौरान बरामद मोबाईल जिसे स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम सिंह नाथावत कां सम्भलाये गये थे जिसे जब्त करना आवश्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। समय 01.20 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर श्री बंसीलाल कानि द्वारा सरकारी मोबाईल से पुलिस थाना पाटन के परिसर में खडी इक्को गाडी के फोटोग्राफ लिये गए थे उक्त सरकारी मोबाईल को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर श्री बंसीलाल कानि से प्रिन्ट निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किये गए। समय 01.35 ए.एम पर

जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री दिनेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को निर्देशित किया गया। परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। श्री गणेशप्रसाद हैड कानि को भी जाये तैनाती उपस्थिती देने हेतु रवाना किया गया। समय 02.30 ए.एम पर आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराने हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा के नाम तहरिर जारी कर श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री बंसीलाल कानि नं 63 को जरिये सरकारी वाहन रवाना किए। समय 03.40 ए.एम. पर आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि को पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में दाखिल हवालात करा ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा उपस्थित आये और आरोपीगण के पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा की रोजनामचा रपट पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.00 ए.एम पर आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि को पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त करने हेतु श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये सरकारी वाहन रवाना किए। समय 11.50 ए.एम पर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक एवं जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा से प्राप्त कर ब्यूरों चौकी पर लेकर उपस्थित आये। समय 12.10 पी.एम पर पाबन्दशुदा श्री हरीश चन्द्र पाटीदार हैड कानि नं 210 पुलिस थाना पाटन जिला बांसवाडा जो ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आए और परिवादी श्री अश्विन बारिया के वाहन से सम्बन्धित प्रकरण के दस्तावेजात पुलिस थाना पाटन के पत्रांक 193 दिनांक 01.02.2026 मय तहरिर के संलग्न दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति पेश की श्री हरीश चन्द्र पाटीदार हैड कानि ने बताया उक्त दस्तावेजो को श्री सुरजमल खराडी पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना पाटन द्वारा प्रमाणित किया गया है। जिसका बाद अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दिनांक 30.01.2026 को हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 31.01.2026 को हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वत लेन-देन जो की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड सेव थी उक्त मेमोरी कार्ड से डब पेन ड्राईव तैयार करवाई गई थी जो मालखाने से श्री दिनेश कुमार सउनि से मंगवाई जाकर पेन ड्राईव को श्री बंसीलाल कानि से ब्यूरो कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट करवा उक्त वार्ताओ के मुख्य-मुख्य अंश को चलाकर सुनवाया गया तो श्री हरीश चन्द्र पाटीदार हैड कानि नं 210 द्वारा आरोपीगण श्री सुरेन्द्र िंसह हैड कानि एवं श्री जयपाल सिंह कानि की आवाज पहचान करते हुए कहा कि उक्त दोनो कार्मिक हमारे पुलिस थाना के अन्तर्गत चौकी छोटी सरवा पर पदस्थापित है। जिनसे मेरा राजकार्य के सम्बन्ध में वार्ता होती है इसलिए में इन दोनो की आवाज पहचानता हु। समय 01.00 पी.एम पर पूर्व का पाबन्दशुदा जिला पुल बांसवाडा से चौपहिया सरकारी वाहन लेकर कार्मिक उपस्थित आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री बंसीलाल कानि मय आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री जयपाल सिंह कानि को मय जिला पुल बासंवाडा के सरकारी वाहन व चालक से जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुआ। प्रकरण में आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि नं 664 एवं श्री जयपाल सिंह कानि 878 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया जाकर न्यायाधीष महोदय के आदेषानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेंगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता, जरिये मोबाईल वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि द्वारा परिवादी के वाहन के नुकसान की उचित राशिदिलाने एवं वाहन परिवादी को सुपूर्द करने की फाईल तैयार करने हेतु अपने मुंशी श्री जयपाल सिंह कानि के लिए रिश्वत राशिकी मांग कर मांगकर ग्रहण की गई। इस प्रकार आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि द्वारा अपने मुंशी श्री जयपाल सिंह कानि के लिए रिश्वत राशिकी मांग की गई जो नियमानुसार दिनांक 30.01.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि द्वारा अपनी चौकी के कान्स्टेबल श्री जयपाल सिंह के लिए रिश्वत राशि की मांग की गई। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री जयपाल सिंह कानि द्वारा भी अपनी सहमती व्यक्त की। तत्पश्चात् नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर दिनांक 31.01.2026 को आरोपी श्री जयपाल सिंह कानि ने आरोपी श्री सुरेन्द्रसिंह हैड कानि नम्बर 664 के कहेनुसार परिवादी श्री अश्विनबारिया से रिश्वत राशि2,000/- रूपये अपनी मांग अनुसार ग्रहण करते हुए आरोपी श्री जयपाल सिंह कानि को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि की उक्त मामले में स्पष्ट संलिप्ता पाये जाने पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। मौके से रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है तथा आरोपीगण से कोई बरामदगी शेष नहीं है। इस प्रकार आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि नं 664 एवं श्री जयपाल सिंह कानि नं 878 द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर दिनांक 31.01.2026 को गिरफ्तार किया गया है। जो की जूर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 के प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि नं 664 एवं श्री जयपाल सिंह कानि नं 878 के विरूद्व जूर्म अन्तर्गत

धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (ऋषिकेष मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीयान 1. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह उम्र 50 वर्ष जाति राव निवासी राजपुर तहसील गढी जिला बांसवाडा हाल हैड कानि नं 664 पुलिस थाना आनन्दपुरी हाल मौखिक आदेष से अटैचमेंट पुलिस चौकी छोटी सरवा थाना पाटन जिला बांसवाडा व 2. श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री माल सिंह उम्र 34 वर्ष जाति राजपूत निवासी महावा निमकाथाना सदर जिला सीकर हाल कानि नं 878 पुलिस चौकी छोटी सरवा पुलिस थाना पाटन जिला बांसवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रतनसिंह राजपुरोहित, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 28 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 175-78 दिनांक 03-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाडा 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ratan Singh Rajpurohit **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/02/2026 19:27:52

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				
2	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)